

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

No. 36]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

सं. 2/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 77(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 163(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 70 में,-

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8.48 रुपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "9.66 रुपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 71 में,-

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "9.83 रुपये प्रति लिटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.19 रुपये प्रति लिटर” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी;

2. यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/123/2014-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 1/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 2016 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

No. 2/2016-Central Excise

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely: -

In the said notification, in the Table,-

(i) in serial number 70,-

- (a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry “Rs. 8.48 per litre” shall be substituted;
- (b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry “Rs. 9.66 per litre” shall be substituted;

(ii) in serial number 71,-

- (a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry “Rs. 9.83 per litre” shall be substituted;
- (b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry “Rs. 12.19 per litre” shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from the 16th day of January, 2016.

[F. No. 354/123/2014 -TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E) dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No.1/2016-Central Excise, dated the 1st January, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 2016.